प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-I राज्य का अवलोकन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान, सरकारी लेखाओं की संरचना तथा राज्य के वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट) प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के क्रमश: वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता' पर अध्याय-IV चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निदेशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना के अवलोकन तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में हुए लेनदेनों की लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से युक्त प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों, बोर्ड एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियों से युक्त प्रतिवेदन तथा राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते है।